

स0 स0 14 / एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

**प्रेषक**

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक  
मेदान्ता द मेडिसिटी,  
सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,  
पिन-122001

पटना, दिनाक .. .. ..

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनाक 15.01.2025 की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	राकेश राय पिता— भरथ राय ग्राम+पो0— लिलवछ थाना— दिनारा जिला— रोहतास	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	आयुष कुमार पिता—रंजीत प्रसाद ग्राम—मुज्जफरपुर पो0—पडितगंज थाना—कादीरगंज जिला—पटना	बोन मैरो ट्रास्प्लाट	5,00,000	पांच लाख स्वीकृत।
			6,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छ. लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 967791.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—106905001433, खाता धारक का नाम— ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल— दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—ICICI Bank, शाखा का नाम—, RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0001148 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक १५५(१४)

पटना, दिनांक २५/११/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ७६,७७७/- की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
२५/११/२५